रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266248
CG-DL-E-19092025-266248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4100] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 4100] NEW DELHI, WEDNESDAY SETEMBER 17, 2025/ BHADRA 26, 1947

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

**का.आ.4217(अ).—** केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, अर्थात् :-

| क्रम सं. | अधिकारियों के नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री अरविंद मेहता, आईएएस (सेवानिवृत्त)<br>ई-1 महारानी बाग, नई दिल्ली (भारत) | अध्यक्ष; |
| 2. | डा. संदीप शर्मा,<br>वैज्ञानिक- जी, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, कोनिफर परिसर, पंथाघाटी, शिमला, 171013 (हिमाचल प्रदेश) | सदस्य; |
| 3. | निदेशक, पर्यावरण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला 171001, हिमाचल प्रदेश | सदस्य-सचिव \| |

2.प्राधिकरण, पैरा 4 के आधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपने विनिश्चय लेगा ।

3.प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में लिए जाएंगे और साधारणतया सर्वसम्मति से लिए जाएंगे :

परंतु यदि कोई विनिश्चय बहुमत से लिया जाता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रुप से अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

4. केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से ,प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई सारणी के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) गठित करती है, अर्थात् :-

**सारणी**

| **क्र. सं.** | **अधिकारी/व्यक्ति का नाम** | **पदनाम** |
|---|---|---|
| 1. | श्री संदीप भटनागर, आईएएस (सेवानिवृत्त)<br>मकान नं. 45, सेक्टर-4, चंडीगढ़ । | अध्यक्ष; |
| 2. | डा. अश्विनी तपवाल<br>वैज्ञानिक 'एफ' वन संरक्षण प्रभाग, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा-हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, कोनिफर परिसर, पंथाघाटी, शिमला 171013 हि.प्र., भारत | सदस्य; |
| 3. | डा. रणबीर सिंह राणा,<br>प्रधान वैज्ञानिक(सस्य-विज्ञान) भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062, हिमाचल प्रदेश, भारत\| | सदस्य; |
| 4. | डा. मानिन्दर जीत कौर,<br>सचिव सह प्रधान वैज्ञानिक हिमालयन अनुसंधान समूह<br>उमेश भवन, छोटा शिमला- 171002, शिमला, हिमाचल प्रदेश | सदस्य; |
| 5. | श्री कश्मीर सिंह,<br>अधिवक्ता<br>वार्ड नं. 3, नगर परिषद क्षेत्र, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश –177033 | सदस्य; |
| 6. | मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी<br>पर्यावरण भवन, यूएस क्लब, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171001, हिमाचल प्रदेश । | सदस्य-सचिव \| |

5. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

6. प्राधिकरण और समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन से और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं; और

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है ; और

(ii) पूर्ववर्ती पांच वर्ष में, यदि प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया से, यथास्थिति, प्राधिकरण और समिति की बैठकों से स्वयं को अलग कर लेंगे ।

8. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेंगी जो वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत उक्त अधिसूचना के अधीन वास-सुविधा, परिवहन और उनके कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[फा.सं. आईए3-1/4/2022-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

**S.O. 4217(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) as per the Table below, namely:—

| Sr.No | Name of the Officers | Designation |
|---|---|---|
| 1. | Shri Arvind Mehta , IAS (Retired)<br>E-1 Maharani Bagh, New Delhi(India) | Chairman; |
| 2. | Dr. Sandeep Sharma<br>Scientist-G, Himalayan Forest Research Institute, Conifer Campus, Panthaghati, Shimla-171013 (Himachal Pradesh) | Member; |
| 3. | Director, Department of Environment, Science Technology and Climate Change, Government of Himachal Pradesh, Shimla 171001, Himachal Pradesh | Member -Secretary. |

2. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 4.

3. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee for the State of Himachal Pradesh, (hereinafter referred to as the Committee) as per the Table below, namely: -

**Table**

| Sr.No. | Name of the Officer/person | Designation |
|---|---|---|
| 1. | Shri Sandeep Bhatnagar, IAS (Retired)<br>House No. 45, Sector-4, Chandigarh. | Chairman; |
| 2. | Dr. Ashwani Tapwal,<br>Scientist 'F' Forest Protection Division, Indian Council of Forestry Research & Education -Himalayan Forest Research Institute, Conifer Campus, Panthaghati, Shimla 171013 HP, India | Member; |
| 3. | Dr. Ranbir Singh Rana,<br>Principal Scientist, (Agronomy) Centre For Geo-Informatics Research and Training, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University, Palampur-176062, Himachal Pradesh. India. | Member; |
| 4. | Dr. Maninder Jeet Kaur,<br>Secretary cum Principal Scientist Himalayan Research Group<br>Umesh Bhawan, Chotta Shimla-171002, Shimla, Himachal Pradesh | Member; |
| 5. | Sh. Kashmir Singh,<br>Advocate<br>Ward No. 3, Nagar Parishad Area, Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh- 177033 | Member; |
| 6. | Chief Scientific Officer<br>Paryavaran Bhawan, US Club, Department of Environment, Science Technology and Climate Change, Government of Himachal Pradesh, Shimla-171001, Himachal Pradesh. | Member -Secretary. |

5. The Chairman and Member of the Authority and the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

6. The Authority and the Committee shall exercise such powers and follows such procedures as specified in the said notification.

7. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Authority, and the Committee have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee as the case may be, from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The State Government of Himachal Pradesh shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committee which shall provide financial and logistic support, including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

10. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Himachal Pradesh.

[F. No. IA3-1/4/2022-IA.III ]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.19 11:12:06 +05'30'